कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा अर्चना जांगिड़, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरेचा, लूणी जिला जोधपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जालोड़ा, लोहावट जिला जोधपुर किया गया था जिसके विरूद्ध अर्चना जांगिड़ द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 763/2021 अर्चना जांगिड़ बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

याचिका संख्या 763/2021 में माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.01.2021 के परिपेक्ष्य में याचिकार्थी अर्चना जांगिड़ के अभ्यावेदन में प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों के मद्देनजर राउमावि भैरूसागर, राउमावि मा ब्लॉक औसियां जिला जोधपुर में प्रधानाचार्य पद पर कार्यग्रहण करवाये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 24.09.2019 जो कि पूर्व के समस्त दिशा–निर्देशों के अधिक्रमण (SUPERSESSION) में जारी किये गए हैं, के अनुसार माता–पिता/पति पत्नी/पुत्र–पुत्री अथवा अन्य परिजनों की रूग्णता के आधार पर अनुतोष देय नहीं है। अपीलार्थी को योगकाल एवं यात्रा भत्ता अनुज्ञेय करते हुए स्थानान्तरित किया गया है। अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और राज्य हित/विद्यार्थी हित/विभागीय प्राथमिकता एवं प्रशासनिक आवश्यकता में उन्हें राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। किसी भी लोकसेवक को एक ही स्थान पर बने रहने का कोई निहित अधिकार (VESTED RIGHT) नहीं है। सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार उन्हें राज्य में कहीं पर भी स्थानान्तरित/पदस्थापित किया जा सकता है। अन्यत्र स्थानान्तरित/पदस्थापित किये जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता।

उक्तानुसार याचिकार्थी श्रीमती अर्चना जांगिड़ का अभ्यावेदन उपर्युक्त आधारों पर खारिज किया जाकर श्रीमती जांगिड़ को निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 की अनुपालना में स्थानान्तरित विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जालोड़ा, लोहावट जिला जोधपुर में प्रधानाचार्य के पद पर तत्काल कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/याचिका/अर्चना/763/21 **दिनांकः** 05.02.21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक जोधपुर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्रीमती अर्चना जांगिड़, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)